MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY

Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

Temp. Office I.A.S./P.C.S. Coaching Centre, Near Prem Chand Park, Narmal Campus, Gorakhpur-273001

M vc@mggaugkp.ac.in www.mggaugkp.ac.in

Office No. 0551-2989819

Ref 224-2022-23-(7) Date 18/07/22

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं0 420/79–वि–1–20–1(क)–8–2020 लखनऊ, दिनांक 12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट नोटिफिकेशन सं0 76/79–वि–1–21–2(क)–1–2021 लखनऊ दिनांक 09.01.2021 द्वारा महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर अधिनियम–2020 के अध्याय–2 की धारा–5(घ) व अध्याय–5 की धारा–28 के क्रम में कालेज कोड संख्या AUBA054 ललित हरि राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल, पीलीभीत, द्वारा आनलाइन भरे गये सम्बद्धता फार्म के आधार पर, मा0 कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में, निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2021–22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान कि जाती हैं–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सीट
1.	बी.ए.एम.एस.	63(ई.डब्लू.एस.सहित)
2.	पी.जी.– एम.डी. द्रव्यगुण	08(ई.डब्लू.एस.सहित)

सम्बद्धता की शर्ते निम्नवत् होंगी –

1. संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.),आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था द्वारा एन.सी.आई.एस.एम. आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट तथा प्रवेश अनुमति के बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा।
3. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत होने वाले परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी।
5. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समन्यान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगें।
7. संस्था द्वारा एन.सी.आई.एस.एम, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से समय–समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का पालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना/शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

18.7.22

(आर0बी0 सिंह)

कुलसचिव

पत्रांक: 224-(7)/2022–23 दिनांक: 18 जुलाई, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।